



# POLICE COMMISSIONERATE



## GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य/ प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 19.03.2023

1.थाना बीटा-2 पुलिस द्वारा घरों में चोरी करने वाले गिरोह के 10,000 रुपये के ईनामी गैंगस्टर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमंचा व 02 कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद।

**घटनाक्रम का विवरण--** थाना बीटा-2 द्वारा दिनांक 18/19.03.2023 की रात्रि में मु0अ0सं0-455/2022 धारा 2(ख)(1)/3 गैंगस्टर एक्ट में वांछित एवं 10,000 रुपये के इनामियाँ अभियुक्त साजिद खान पुत्र इखितयार अली निवासी ग्राम बीघापुर थाना मौहम्मदाबाद जिला फर्रुखाबाद को हॉण्डा चौक के पास थाना क्षेत्र बीटा-2 से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक तमंचा मय दो कारतूस जिंदा 315 बोर नाजायज बरामद हुए हैं, गिरफ्तार अभियुक्त साजिद खान शातिर किस्म का चोर है जिनका एक गिरोह है जिसमें अभियुक्त अनुज कुमार पुत्र देव सिंह निवासी नगला जयलाल थाना मुहमदाबाद जिला फर्रुखाबाद गैंग लीडर व अभियुक्त अनूप कुमार पुत्र देव सिंह निवासी नंगला जयलाल थाना मुहमदाबाद जिला फर्रुखाबाद हाल पता पुत्तन का मकान बेगमपुर थाना सूरजपुर गौतमबुद्धनगर व साजिद गिरोह के सक्रिय सदस्य हैं जो कि रेकी करके बंद पड़े मकानों से चोरी कर अवैध धन अर्जित करते हैं। इस गिरोह के विरुद्ध करीब आधा दर्जन चोरी के अभियोग पंजीकृत हैं। गिरोह पर नकेल कसने के लिए वर्ष 2022 में गैंगस्टर का अभियोग पंजीकृत कराया गया लेकिन अभियुक्त साजिद खान तभी से फरार चल रहा था। जिसकी गिरफ्तारी हेतु श्रीमान पुलिस उपायुक्त ग्रेटर नोएडा द्वारा 10 हजार रुपये का ईनाम घोषित कर रखा था। पुलिस टीम थाना बीटा-2 द्वारा दिनांक 18/19.03.2023 की रात्रि में थाना बीटा-2 के मु0अ0सं0-455/2022 धारा 2(ख)(1)/3 गैंगस्टर एक्ट में वांछित एवं दस हजार रूपया के इनामियाँ अभियुक्त साजिद खान को हॉण्डा चौक के पास थाना क्षेत्र बीटा-2 से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक तमंचा मय दो कारतूस जिंदा 315 बोर नाजायज बरामद हुए हैं।

**गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण--** साजिद खान पुत्र इखितयार अली निवासी ग्राम बीघापुर थाना मौहम्मदाबाद जिला फर्रुखाबाद उम्र करीब 25 वर्ष।

### **अभियुक्त का आपराधिक इतिहास--**

1. मु0अ0सं0 836/21 धारा 380/457/411 भादवि थाना बीटा-2 ग्रे0नो0 गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0सं0 877/21 धारा 380/411 भादवि थाना बीटा-2 ग्रे0नो0 गौतमबुद्धनगर।
3. मु0अ0सं0 887/21 धारा 380/411 भादवि थाना बीटा-2 ग्रे0नो0 गौतमबुद्धनगर।
4. मु0अ0सं0 894/21 धारा 411/414 भादवि थाना बीटा-2 ग्रे0नो0 गौतमबुद्धनगर।
5. मु0अ0सं0 492/21 धारा 380/411 भादवि थाना इकोटेक-3 गौतमबुद्धनगर।
6. मु0अ0सं0 455/22 धारा 2(ख)(1)/3 गैंगस्टर एक्ट थाना बीटा-2 ग्रेनो गौतमबुद्धनगर।
7. मु0अ0सं0 142/23 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना बीटा-2 ग्रेनो गौतमबुद्धनगर।

### **बरामदगी का विवरण--**

एक तमन्चा 315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज (अभियुक्त साजिद खान से बरामद)।

## 2. थाना सेक्टर 24 नोएडा पुलिस द्वारा ट्रैक्टर व ट्राली को चोरी करने वाला नौकर (ड्राईवर) गिरफ्तार।

**घटनाक्रम का विवरण--** थाना सेक्टर-24 नोएडा पुलिस द्वारा दिनांक 19.03.2023 को अपने मालिक का ट्रैक्टर व ट्राली चोरी करने वाले अभियुक्त गोविन्द यादव पुत्र पंचम यादव निवासी ग्राम शेरगढ़ थाना आदमपुर जिला अमरोहा को सेक्टर 47 से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त गोविन्द उपरोक्त के कब्जे से चोरी का ट्रैक्टर व ट्राली बरामद हुआ है। दिनांक 18.03.2023 को थाना सेक्टर 24 नोएडा पर ट्रैक्टर रजि नं0 UP14DB1174 व ट्राली चोरी होने की घटना के सम्बंध में मु0अ0सं0 130/2023 धारा 381/411 भा0दं0वि0 पंजीकृत किया गया था। घटना का मात्र तीन घण्टे बाद सफल अनावरण करते हुये अभियुक्त गोविन्द यादव उपरोक्त को मय ट्रैक्टर ट्राली उपरोक्त के गिरफ्तार किया गया।

### **गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण--**

गोविन्द यादव पुत्र पंचम यादव निवासी ग्राम शेरगढ़ थाना आदमपुर जिला अमरोहा उम्र करीब 29 वर्ष।

### **पंजीकृत अभियोग का विवरण--**

मु0अ0सं0 0130/2023 धारा 381/411 भा0दं0वि0 थाना सेक्टर 24 नोएडा कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

### **बरामदगी का विवरण--**

1. एक ट्रैक्टर रजि नं0 UP14DB1174
2. एक ट्राली